जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2016/डी– 1732 दिनांकः– 28/7/2016

श्री. संदीप गोदारा,
मुख्त्यारखास,
मैसर्स जयपुर ग्राण्ड जयपुर,
ए–35, विद्युत नगर, अजमेर रोड़,
जयपुर।

विषयः–भूखण्ड संख्या 1129, ब्लॉक–ई, स्पेशंल इकोनोमिक जोन योजना, ग्राम पालड़ी परसा, तहसील सांगानेर, जयपुर पर प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2015 के संदर्भ में जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या 1129, ब्लॉक–ई, स्पेशल इकोनोमिक जोन योजना, ग्राम पालड़ी परसा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड़ (1100.00 व.मी. क्षेत्रफल) पर बेसमेन्ट मय स्टिल्ट + 24 मीटर = 27.70 मीटर ऊँचाई (बेसमेन्ट + स्टिल्ट + 8 मंजिल) के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के मानचित्र भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 175वीं बैठक दिनांक 07.08.2015 को प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 175वीं बैठक दिनांक 07.08.2015 के निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ दी जाती हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 11.01.2020 (दिनांक 12.01.2015 को जारी लीजडीड की शर्त संख्या 5 के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंधन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–15 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 15 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।
15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखें जावें तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
21. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
25. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (05 मानचित्र)

भवदीय

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (05 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–15, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (05 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन–15, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (05 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. उप नगर नियोजक–बीपीसी (बी.पी.), जविप्रा, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (05 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

SHEET NO-01

construction checked at plinth level before proceeding for further construction

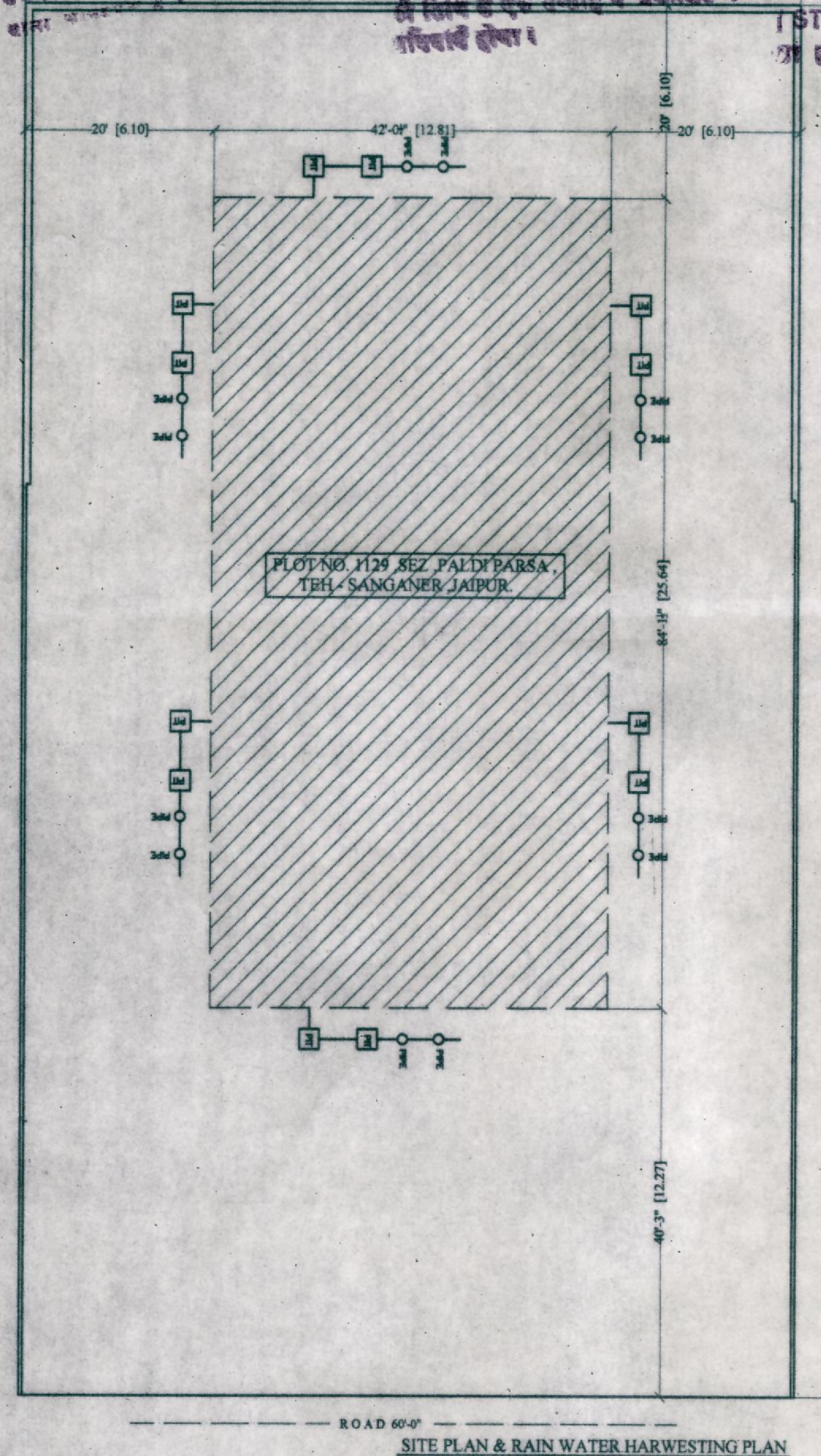

SITE PLAN & RAIN WATER HARWESTING PLAN
scale = 1:200

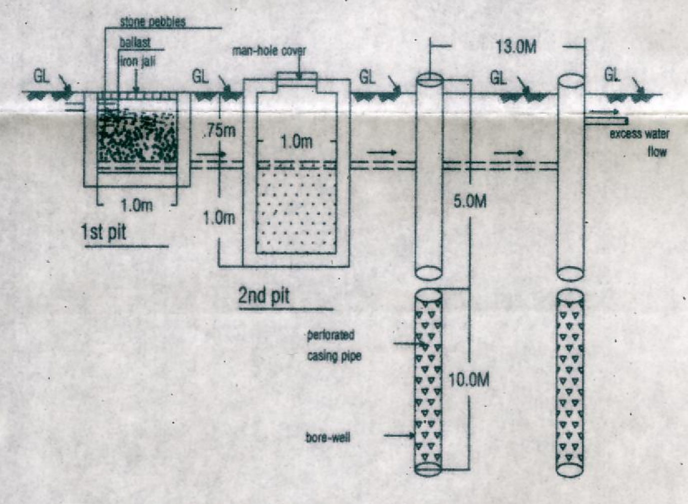

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

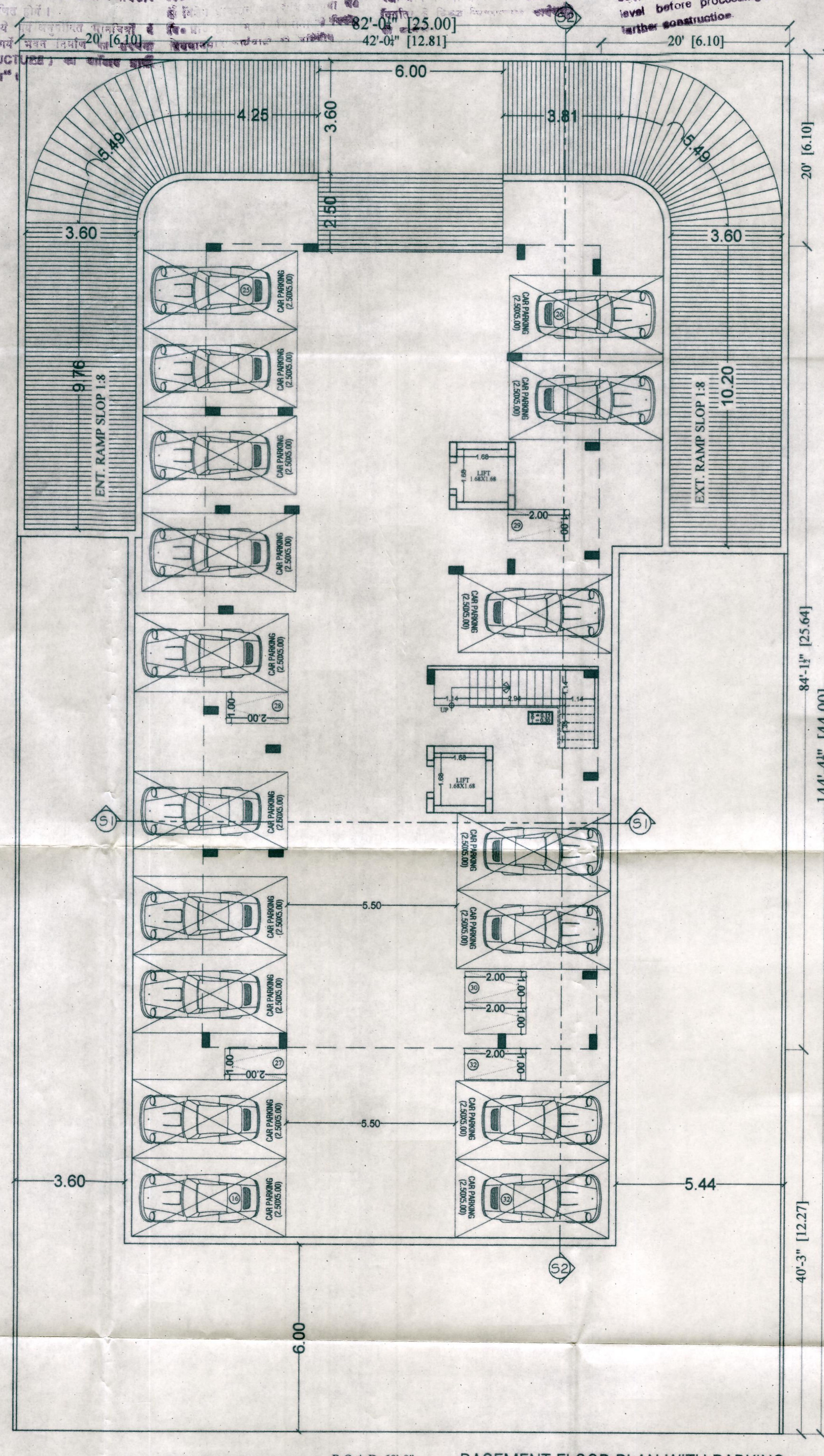

BASEMENT FLOOR PLAN WITH PARKING

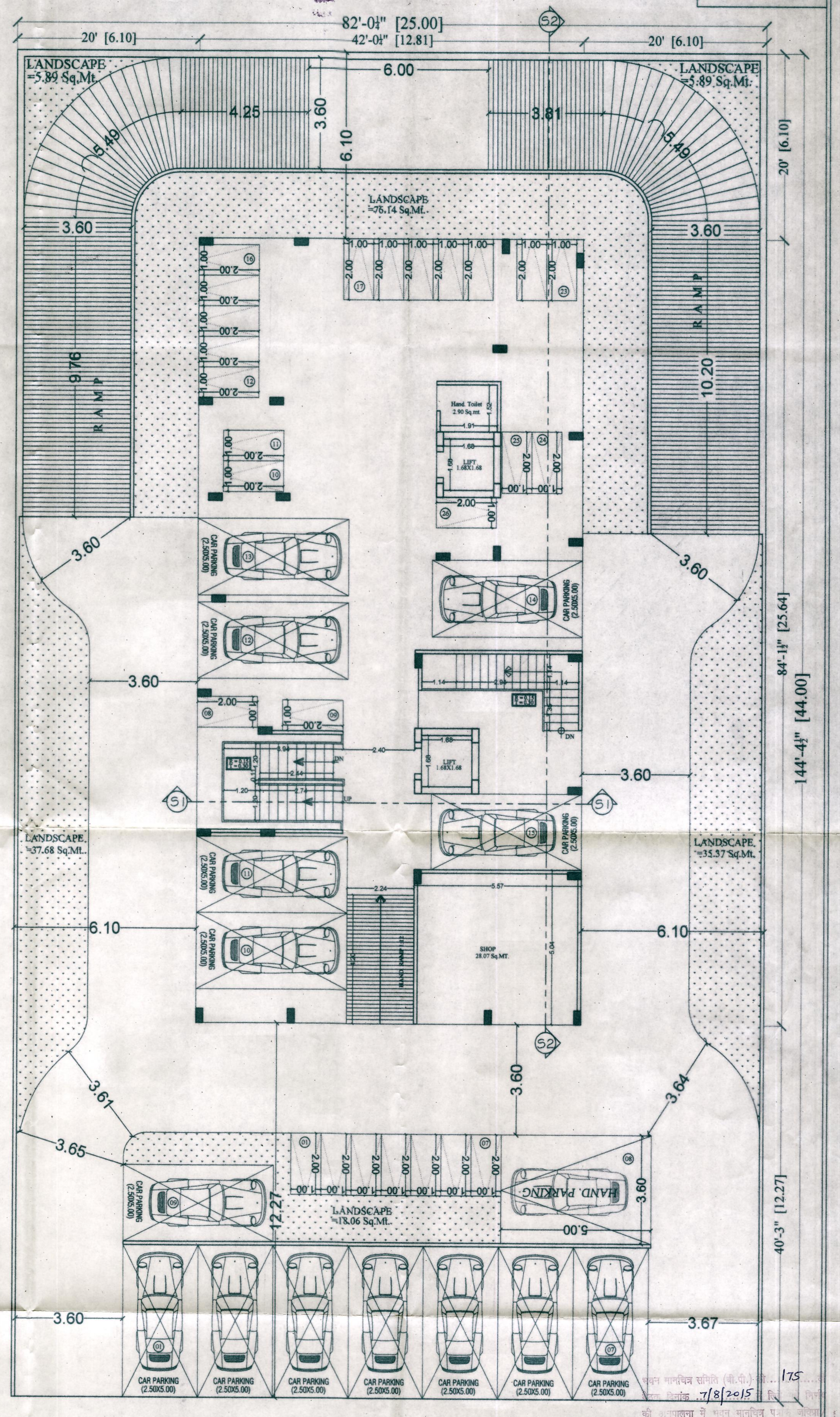

STILT FLOOR PLAN WITH PARKING

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA= (1100.00) =1100.00 SQM.
2.	PERMISSIBLE F.A.R= 1100.00 x 2.25 =2475.00 SQM.
	PROPOSED F.AR. =2455.77 SQM. (2.23)
	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACK
	PROPOSED GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACK
	PERMISSIBLE LANDSCAPE (15%) =165.00 SQM.
	PROPOSED LANDSCAPE =179.03 SQM.
	E.C.U. REQUIRED =(28.07 /50) =0.56+ 25% = 0.70 ECU E.C.U. REQUIRED =(2427.70/75) =32.36+ 25% = 40.45 ECU = (0.70+40.45) = 41.15 ECU (31 CAR+10.15x3=31 SCOOTER)
13.	E.C.U. PROPSED = 32 CAR. 32 SCOOTERS 41.66 ECU

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	CHAJJA	BALCONY	FIRE STAIR CASE	BUILTUP AREA	SERVICES	STAIR CASE	HAND. TOILET	LIFT	CORRIDOR	STORE	FAR
1	BASEMENT	748.66	-	-	-	748.66		8.64		5.62			
2	STILT	422.26	-	-	-	422.26		8.64	2.90	5.62			30.97
3	FIRST	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
4	SECOND	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
5	THIRD	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
6	FORTH	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
7	FIFTH	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
8	SIXTH	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
9	SEVENTH	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
10	EIGHTH	422.26	1.58	48.08	9.92	362.68	5.06			5.62	42.39	6.51	303.10
11	MUMTY/ STAIR	50.60				50.60							
12	TOTAL	4599.6	-	-	-	4122.96	40.48			-	339.12	52.08	2455.77

CORRIDOR

PERMISSIBLE (15%) = 368.36 Sq.mt.
ACHIEVED (13.82%) = 339.12 Sq.mt.
EXCEED = 0.00 Sq.mt.

SERVICES

PERMISSIBLE (7%) = 171.90 Sq.mt.
ACHIEVED (1.64%) = 40.48 Sq.mt.
EXCEED = 0.00 Sq.mt.

STORE

PERMISSIBLE (3%) = 73.67 Sq.mt.
ACHIEVED (2.12%) = 52.08 Sq.mt.
EXCEED = 5.90 Sq.mt.

उप नगर नियोजक (बी0 पी0 सी0)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED FLATS AT PLOT NO. 1129 ,SEZ ,
PALDI PARSA , TEH - SANGANER ,JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR,
JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHEET NO-02

जयपुर विकास प्राधिकरण
समस्त बहुमंजिली इमारतों एवं विशाल व्यावसायिक भवनों में काम लगाते ही ... एवं साथ ही अग्निशमन केन्द्र पर ... स्थान की ... पूर्ण सूचना भेजने वाले ... पत्रों की व्यवस्था ...

... मानचित्र का अनुमोदन किसी भी व्यक्ति ... भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व ... अधिकार ही प्रमाणित होंगे।
नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व ... का होगा।

... विकास प्राधिकरण (जयपुर ...) विनियम 2000 की धारा 8.15 के ... दिशा निर्देशों के अनुसार ... विशेष प्रावधान ... द्वारा भवन ... निर्माता के विरुद्ध ... कार्यवाही की जायेगी।

... वर्ग मीटर से बड़े व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों के सीमा पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति आम जनता के अवलोकनार्थ Prominently display की जायेगी ... इस प्रकार के ... भवन मान-चित्र भवन निर्माणकर्ता ... दैनिक समाचार-पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

... विकास प्राधिकरण (जयपुर ...) विनियम 2000 की धारा 12 के ... दिशा निर्देशों के अनुसार ... स्वीकृत भवन ... विकल्प ... अन्यथा ... निर्माता के विरुद्ध ... नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 175 वीं बैठक दिनांक 7/8/2015 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्र पत्रांक जविप्रा/स.स./बीपीसी (बीपी)/डी- 1732 दिनांक 28/7/2016 द्वारा अनुमोदित कर जारी किये गये।

अनुमोदित

28/7/16

नगर नियोजक ... जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

28/7/16

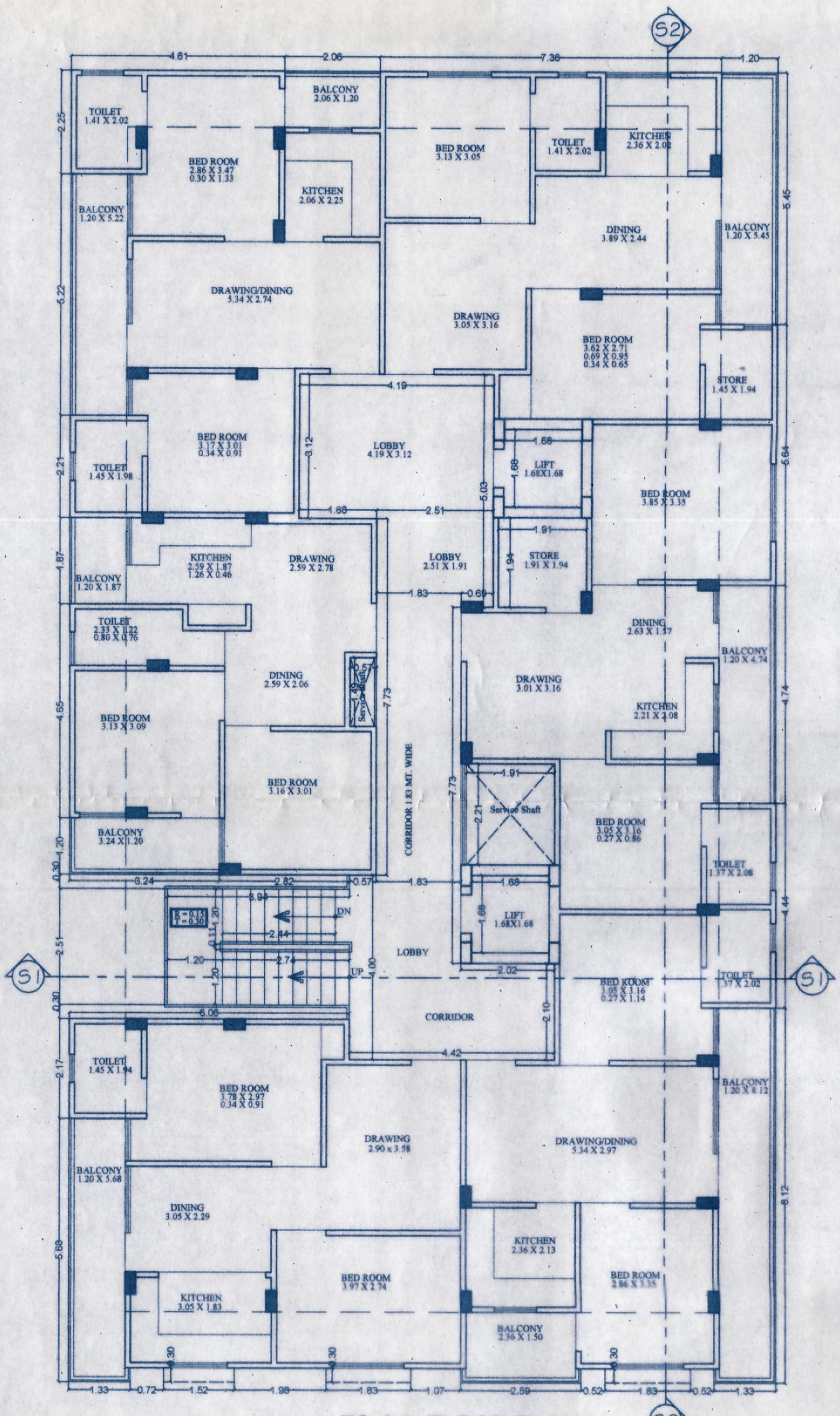

1 st TO 8th FLOOR PLAN

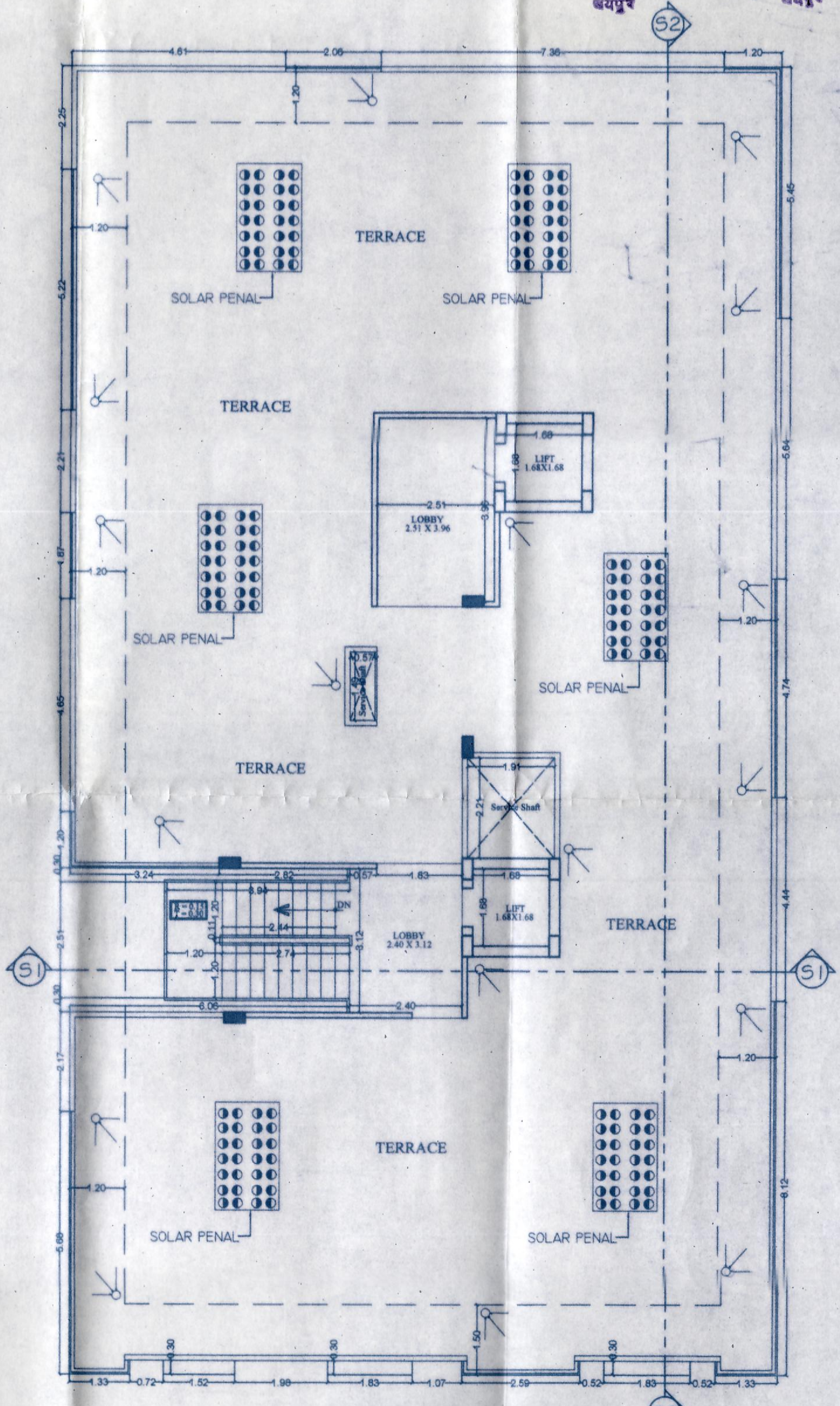

TERRACE FLOOR PLAN

SHRI KRI... ARCH... CA/99...

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED FLATS AT PLOT NO. 1129 ,SEZ , PALDI PARSA , TEH - SANGANER ,JAIPUR.		SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHEET NO-03

application should get the construction checked at plinth level before proceeding to further construction

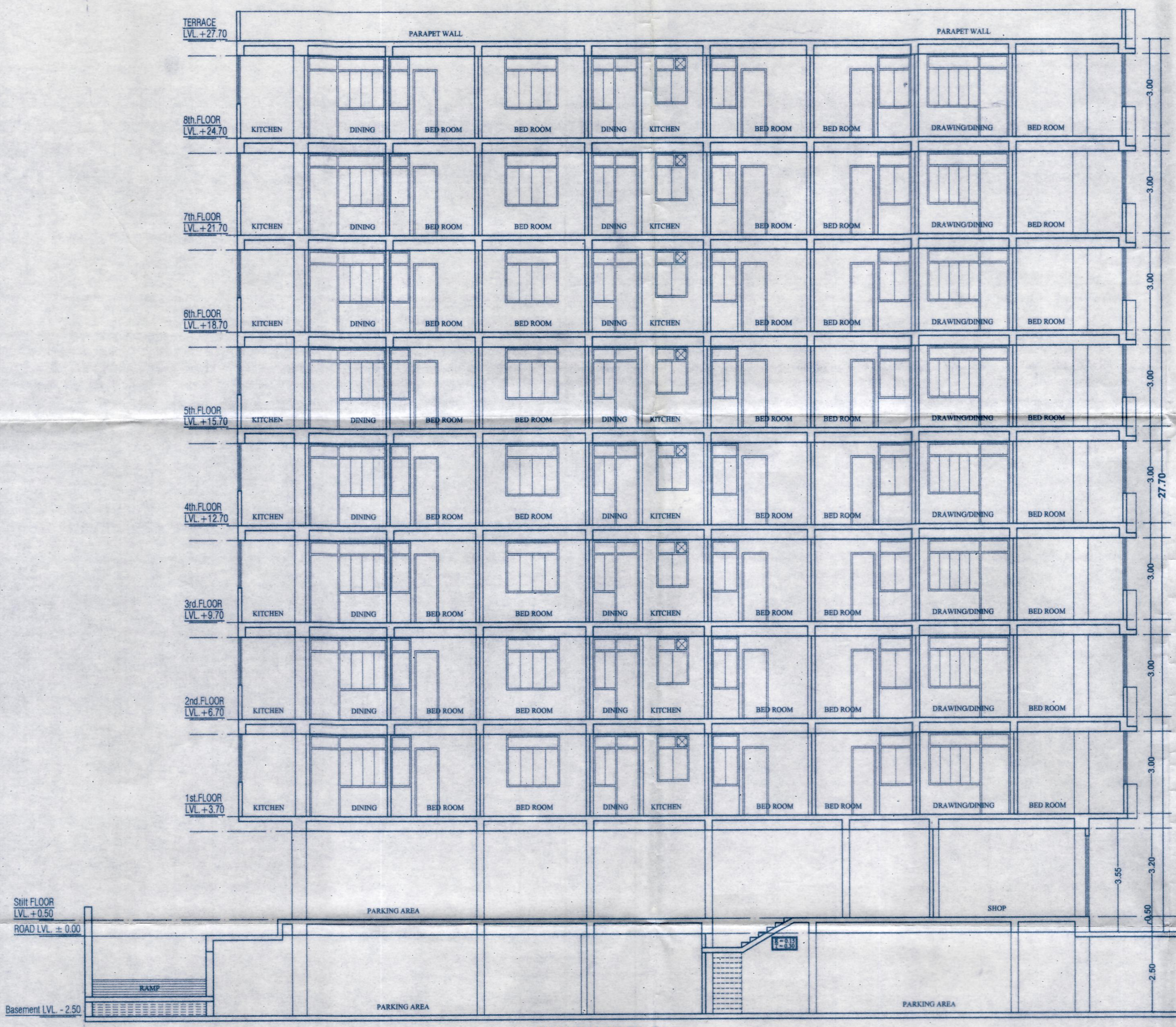

SECTION AT S2-S2

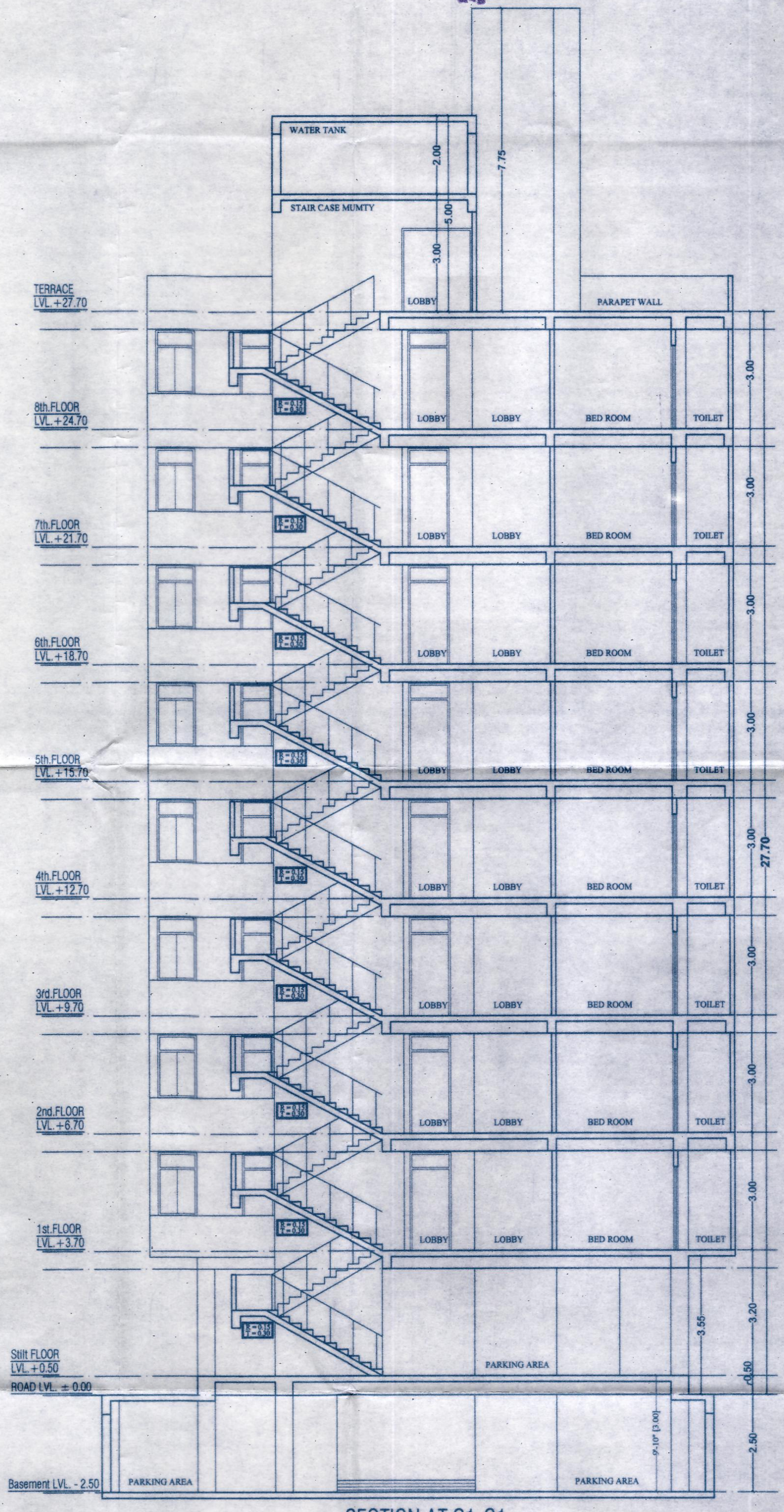

SECTION AT S1-S1

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED FLATS AT PLOT NO. 1129 ,SEZ , PALDI PARSA , TEH - SANGANER ,JAIPUR.		SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHEET NO-04

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding further construction

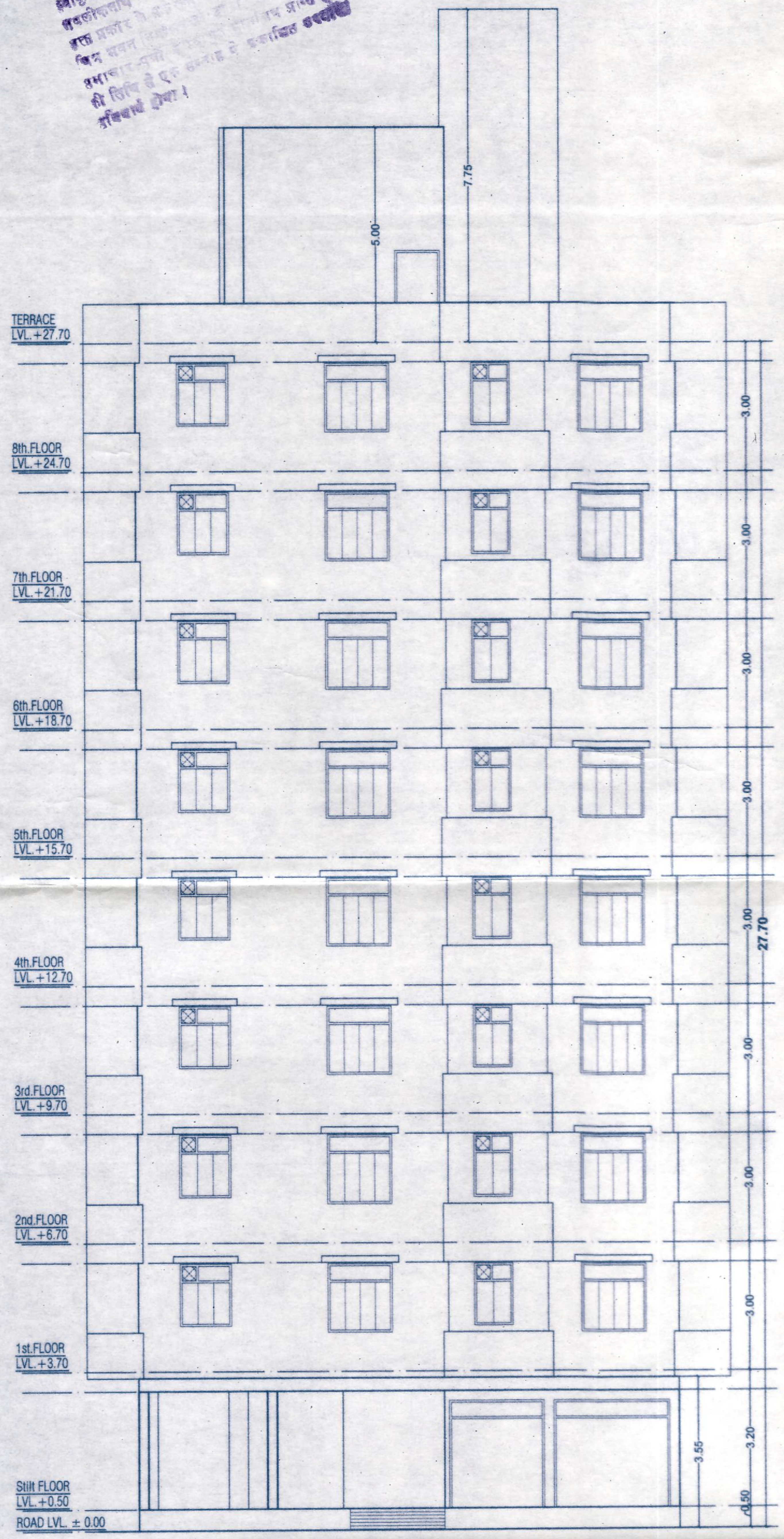

FRONT ELEVATION

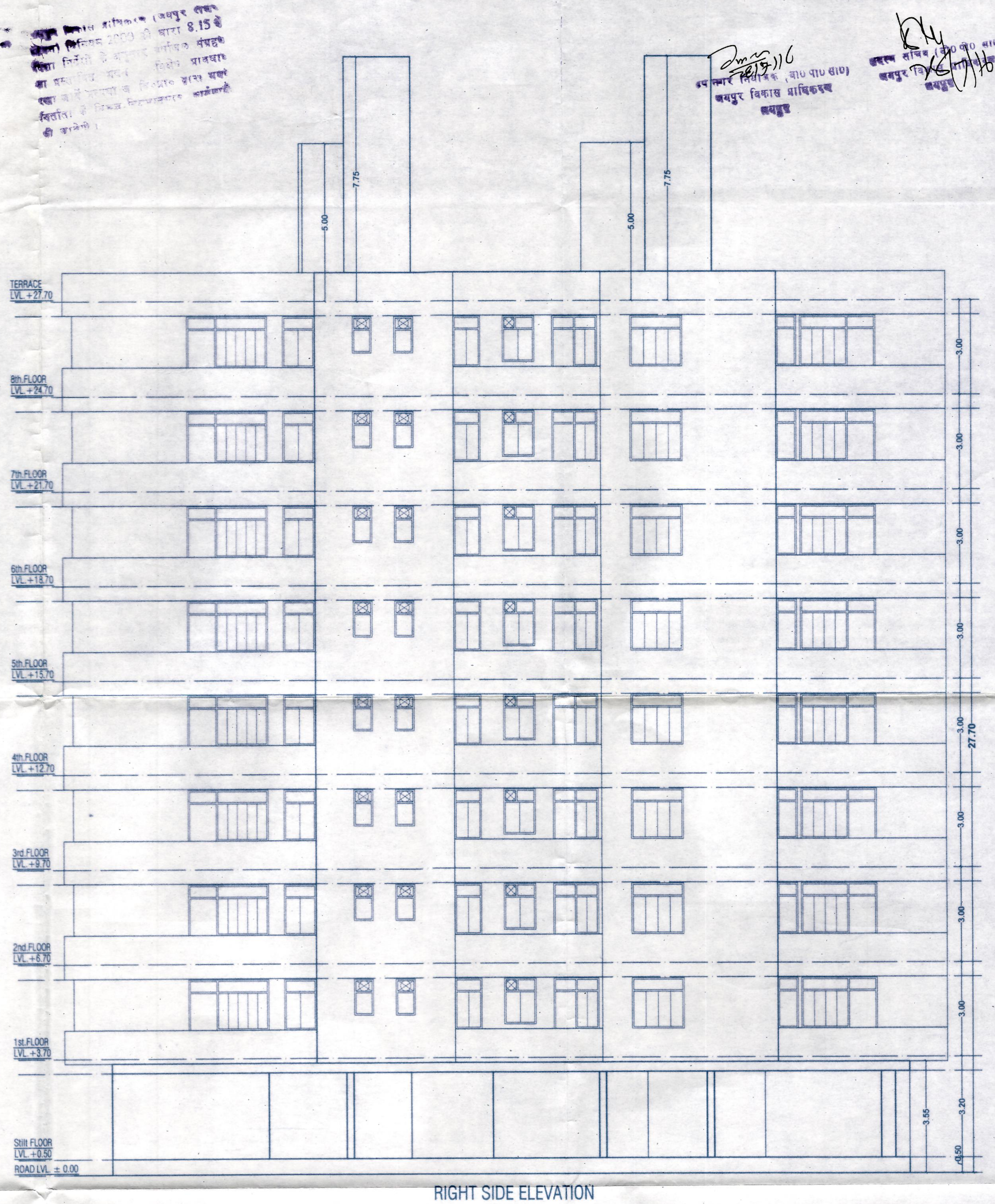

RIGHT SIDE ELEVATION

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/2548

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED FLATS AT PLOT NO. 1129 ,SEZ , PALDI PARSA , TEH - SANGANER ,JAIPUR.		SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603

SHEET NO-05

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

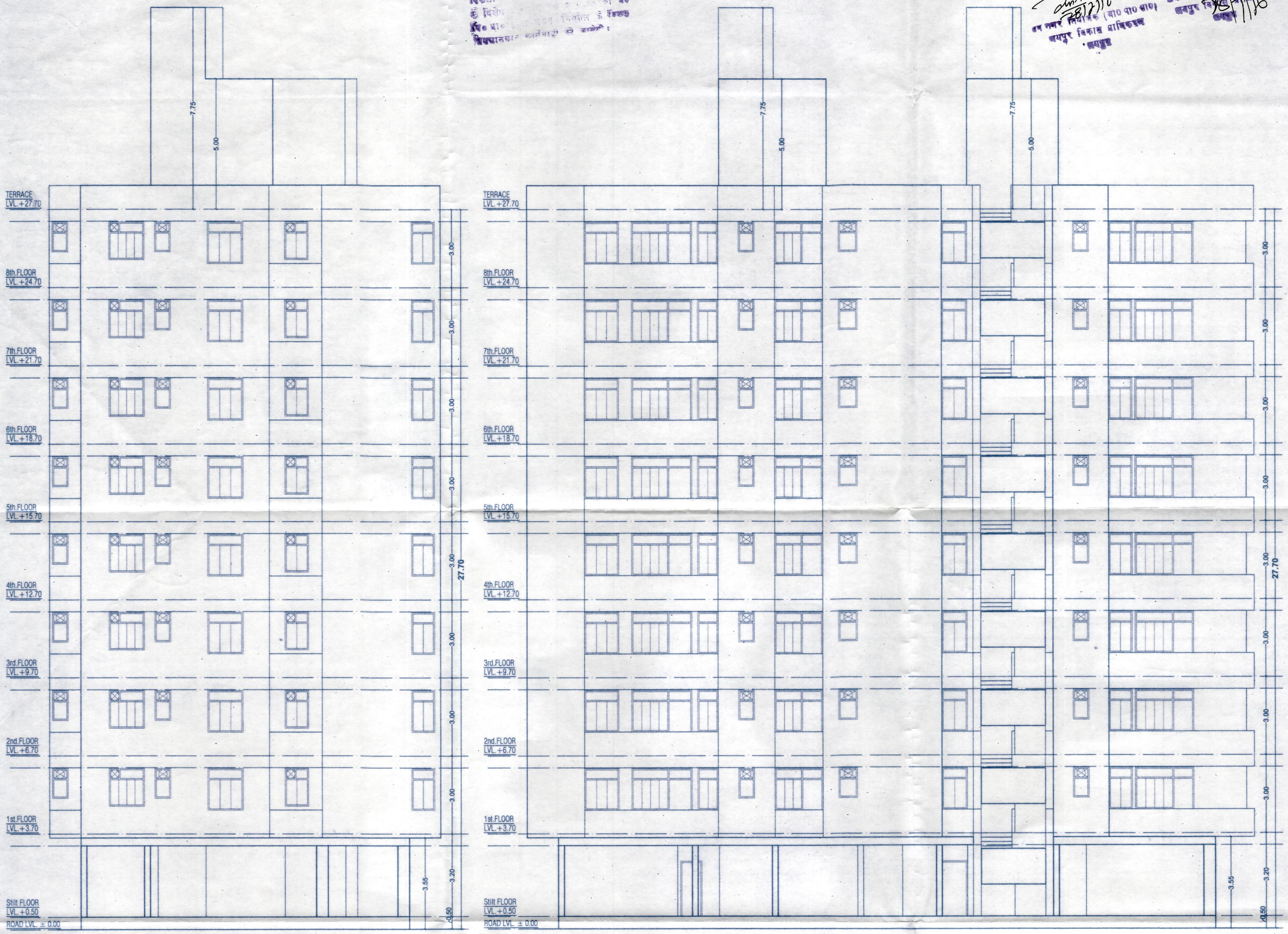

BACK SIDE ELEVATION

LEFT SIDE ELEVATION

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED FLATS AT PLOT NO. 1129 ,SEZ , PALDI PARSA , TEH - SANGANER ,JAIPUR.		SPACE GRID C-49,VIDYA APPT.,BAPU NAGR, JAIPUR.PH-09314918766,09314510603